न्यायालय :- अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)
उनवान - बबीता बनाम ग्रा. वि. अधि. ग्रा. पं. खोखर वगै०
मु० नं. 12/25/2021 दा. ति. 01.03.2021

8.1.15 आज पत्रावली प्रस्तुत हुई पत्रावली का अवलोकन किया। यह पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटीशन न0 14226/2020 बबीता बनाम राज्य सरकार व अन्य, निर्णय दिनांक 05.12.2020 के पश्चात कायम की गई।

यह प्रकरण ग्राम पंचायत खोखर, पंचायत समिति कठूमर, केन्द्र खोखर द्वितीय पर सहायिका के पद पर चयन के सम्बंध में है। अपीलार्थी बबीता पत्नि महेन्द्रपाल बसवाल के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि " The Petitioner is aggrieved of the wrongful appointment of the respondent no. 7 as Anganwari Worker as per the claim, appeal lies to the collector who is to examine the grievance. If any such appeal is preferred by the petitioner, after giving opportunity to the respondent no. 7 , the collector shall decide the appeal expeditiously but not later than 3 months from today.

In view of the aforesaid observation, the writ petition is dismissed on the ground of efficacious alternate remedy.

The petitioner shall be free to arise all his submissions which he has raised in the present petition before the collector."

अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में सिविल अधिकारों का विनिश्चय होना है न कि राजस्व विवाद का। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में यह पत्रावली राजस्व न्यायालय में विचाराधीन नही रखकर प्रशासनिक रूप से जिला कलक्टर कार्यालय के संस्थापन शाखा द्वारा निर्णित की जानी है। अतः यह पत्रावली न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम से कम की जाकर जिला कलक्टर कार्यालय को प्रशासनिक रूप से निर्णय लिये जाने हेतु भिजवाई जाती है। पत्रावली इस न्यायालय में निर्णित समझी जाकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8.1.15

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)